ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका से सम्बन्धित सहयोगी दस्तावेज

पंचायती राज विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

विषय-सूची

सहयोगी दस्तावेज : 1	जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभावों को कम करने के उपायों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने की प्रक्रिया (एस0ओ0पी0)	3–11
सहयोगी दस्तावेज : 2	संविधान की ग्यारहवीं अनूसूची में वर्णित 29 क्षेत्र/विषय सम्बन्धी विशिष्ट क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में शमन, पूर्व तैयारी और अनुकूलन की रणनीतियां	12–31
सहयोगी दस्तावेज : 3	प्रतिरोधी (रेजिलियेन्ट) क्षमता में योगदान दे सकने की संभावना वाली योजनाओं व कार्यक्रमों की पहचान	31–39
सहयोगी दस्तावेज : 4	जोखिम सूचित जी0पी0डी0पी0 की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु चेकलिस्ट	38–45

सहयोगी दस्तावेज : 1

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभावों को कम करने के उपायों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने की प्रक्रिया (एस०ओ०पी०)

सहयोगी दस्तावेज : 1

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभावों को कम करने के उपायों को ग्राम विकास योजना में शामिल करने की प्रक्रिया (एस०ओ०पी०)

यह एस0ओ0पी0 गाँव स्तर पर बनने वाली विकास योजना के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा आपदा के प्रभावों को कम करने वाले उपायों को शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। इसकी मदद से गाँव के लोग अपने जरूरतों के अनुसार योजना को बना सकेगें।

गाँव स्तर पर योजना निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक साल गाँव के लोग उपलब्ध संसाधनों तथा अपने जरूरत के अनुसार गाँव की योजना बनाते हैं। वैसे गाँव की योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है, पर अभी यह मात्र आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को गाँव के विकास योजना में शामिल करने पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है।

भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 में उल्लेखित ग्राम पंचायत के कर्तव्यों एवं कृत्यों का सुचारू ढंग से निर्वहन करने हेतु जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबन्धन के उपायों को ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के समय ध्यान देना आवश्यक होगा। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित की जाने वाली पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं का अनुरक्षण सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा तथा ग्राम पंचायत भी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकेगी।

हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन तथा उससे उत्पन्न आपदाओं की घटनायें बढ़ी है और ये घटनायें गाँव के विकास को काफी हद तक प्रभावित कर रही हैं। अतः गाँव स्तर पर वर्तमान एवं भावी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों एवं उससे जनित आपदाओं को ध्यान में रखकर गाँव की विकास की योजना बनाने की जरूरत है। नीचे दिये गये तालिका में गाँव की योजना तैयार करने, ग्राम सभा द्वारा संस्तुत किये गये कार्यों के क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन के पश्चात विभिन्न हितधारकों द्वारा समीक्षा एवं मूल्यांकन के दौरान की जाने वाली गतिविधियां, उनकी भूमिका व जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।

(अ) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को ग्राम विकास योजना के बनने के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ

योजना निर्माण के चरण	प्रमुख हितधारक	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ
वातावरण निर्माण	ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि (ग्राम प्रधान, वार्ड से निर्वाचित सदस्य) पूर्व में निर्वाचित प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मी (यदि संभव हो), शिक्षक, पंचायत सचिव, लेखपाल,	योजना निर्माण के इस चरण में पंचायत स्तर पर गठित विभिन्न टास्क फोर्स के सदस्य, जन प्रतिनिधि (ग्राम प्रधान, वार्ड के सदस्य), पंचायत स्तर के विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, पंचायत स्तर पर उपलब्ध लोक कलाकार की भूमिका अहम होगी। यह मानव संसाधन पंचायत स्तर पर जोखिम सूचित ग्राम पंचायत

	रोजगार सेवक, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि युवक मंगल दल के सदस्य, पंचायत कर्मी, आशा, आंगनवाड़ी सफाई कर्मी, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा स्थानीय स्वयं सेवी संगठन के सदस्य।	विकास योजना के निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने तथा आम सभा के सभी सदस्यों को जागरूक करने एवं उनका क्षमता संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। • गाँव के प्रधान ग्राम सभा के बैठक में गाँव के लोगों को जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर लोगों को जागरूक करेगें। • वार्ड के सभी सदस्य टास्क फोर्स के सहयोग से अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र के समुदायों में जोखिम सूचित ग्राम पंचायत योजना निर्माण के बारे में जागरूक करेंगे तथा लोगों को योजना निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करेंगे। • ग्राम प्रधान एवं वार्ड के निर्वाचित सदस्य जोखिम सूचित विकास योजना के निर्माण के पूर्व गाँव में योजना निर्माण का माहौल तैयार करेंगे। • वार्ड के सदस्य लोगों में जोखिम सूचित ग्राम विकास योजना के प्रति और अधिक प्रचार–प्रसार हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के ऊपर आकर्षक नारों के साथ दीवाल लेखन, पत्रक का वितरण, बैनरों का प्रदर्शन, पोस्टरों के साथ–साथ सार्वजनिक सम्बोधन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। • ग्राम प्रधान एवं वार्ड के निर्वाचित सदस्य स्थानीय लोक कलाकारों के सहयोग से जलवायु सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु गाँव के सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवायें। • ग्राम प्रधान मानसून के पहले ग्राम पंचायत स्तर के विभागीय कर्मचारी, पंचायत सचिव के सहयोग से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जागरूकता सप्ताह मनायें। • टास्क फोर्स के सदस्य जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन करें।

		• ग्राम प्रधान व स्कूल के प्राध्यापक स्कूल के छात्रों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से गीत विकसित कर नुक्कड़ नाटक मण्डली के सहयोग से प्रभात फेरी करवायें।
	शिक्षक	• सभी स्कूल के प्राध्यापक एवं अध्यापक एक निश्चित तारीख तय कर स्कूल शिक्षा समिति के सदस्यों को जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे मे समिति के सदस्यों को जागरूक करें । • ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सभी स्कूलों में स्कूली बच्चों के साथ पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों एवं उससे बचाव हेतु जागरूकता रैली/अभियान का आयोजन करें। • ग्राम पंचायत को सुरक्षित ग्राम पंचायत कैसे बनाया जा सकता है इस पर स्कूलों के छात्रों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवायें।
परिस्थिति विश्लेषण	ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सहायक, लेखपाल आंगनवाड़ी सहायिका, टास्क फोर्स के सदस्य	ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत परिस्थिति विश्लेषण में जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को समाहित करने हेतु सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित आंकड़ों व सूचनाओं को एकत्रित करना होगा। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत स्तर पर खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता विश्लेषण (HRVCA) करने हेतु निम्न हितधारकों की अहम् भूमिका होगी। • ग्राम रोजगार सेवक पंचायत स्तर पर परिस्थिति विश्लेषण के सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेंगे। इसके अन्तर्गत वह टास्क फोर्स के सहयोग से पंचायत स्तर पर सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं के संकलन, ग्राम पंचायत स्तर से सम्बन्धित सभी खतरों, जोखिमों, नाजुकताओं व क्षमता से संबंधित आंकड़ों, गाँव भ्रमण, संसाधन एवं सामाजिक मानचित्रण एवं अन्य गतिविध्यिों को सहभागी तरीकों एवं विभिन्न मानक विधियों का प्रयोग करते हुए सुचारू ढंग से HRVCA की गतिविधियों को सम्पादित करेगा।

		• वार्ड के सदस्य भी अपने–अपने क्षेत्र में जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण की प्रक्रिया (HRVCA) तथा आंकड़ों के एकत्रित कराने में सुगमकर्ता के रूप में भूमिका निभायेंगे। • ग्राम प्रधान सर्वेक्षण, मानचित्र, खतरा जोखिम नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण के साथ परिस्थिति विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा एवं स्थितियों का आंकलन करने हेतु पंचायत स्तर पर विभागीय कर्मचारियों, सक्रिय स्वयं सेवी संस्थानों, सामुदायिक संगठनों आदि को शामिल करते हुए पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे।
	लेखपाल	• गाँव के लेखपाल पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों से संबंधित सभी प्रकार के द्वितीयक आंकड़े उपलब्ध करने में सहयोग करेंगे। • पंचायत स्तर पर आपदाओं से होने वाले नुकसान एवं प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या के बारे में सूचना प्रदान करेंगे।
	आंगनवाड़ी सहायिका एवं आशा	• आंगनवाड़ी सहायिका अपने आंगनवाड़ी से संबंधित कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं की संख्या एवं अन्य सूचनाएं (जैसे लिंग अनुपात, IMR, MMR, संक्रामण बीमारियों) उपलब्ध करायेंगी।
	शिक्षक	• जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से प्रभावित होने वाले स्कूल की संरचनाओं से सम्बन्धित सूचना देंगे
आवश्यकता की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण	ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव	• ग्राम पंचायत के बैठक में ग्राम प्रधान जोखित सूचित परिस्थिति विश्लेषण के उपरान्त सामाजिक, आर्थिक, ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की सूची तैयार करेंगे। • पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव समुदाय के साथ बैठक कर संभावित या होने वाले खतरों/चिन्हित समस्याओं से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे तथा उसके निराकरण हेतु हल ढूंढने में समुदाय से सहयोग लेगें।

		• ग्राम पंचायत स्तर पर चिन्हित समस्याओं को एक जगह लाकर आगे की प्रक्रिया अर्थात् प्राथमिकता का निर्धारण करें। • ग्राम सभा की बैठक मे प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु परिस्थिति विश्लेषण पर चर्चा, उपलभ्ध संसाधनों एवं जन सहभागिता पर चर्चा के उपरांत कार्यों का प्राथमिकीकरण करें। • आपदा से संबन्धित अन्य विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करें ।
संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट योजना का निर्माण	ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव	• ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य प्राथमिकता के अनुसार तय की गई गतिविधियों को संपादित करने हेतु सभी स्तरों (स्कीम एवं परियोजनाओं) से प्राप्त हो सकने वाले संसाधनों (मानव एवं वित्तीय) की पहचान एवं उपलब्धता पर विचार–विमर्श करें तथा उसकी सूची बनाएं। • ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य पंचायत स्तर पर कम लागत अथवा बिना लागत के कार्यो की सूची बनायें। • ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान देंगे– ➢ ग्राम प्रधान वार्ड सदस्य एवं रोजगार सेवक वर्तमान समय में चल रही योजनाओं के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को शामिल करने पर विचार विमर्श। ➢ गाँव में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों में समुदाय की मदद से देखें कि उन निवारण कार्यों से ग्राम पंचायत स्तर पर कहीं और जोखिम के बढ़ने का खतरा तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उसमें आवश्यक संशोधन कर उसको सुरक्षित एवं स्थायी विकास में परिवर्तित करने का उपाय ढूंढना। ➢ गाँव में संचालित होने वाले योजनाओं के अन्तर्गत समय पूर्व व्यवस्था कर सुरक्षात्मक उपाय की व्यवस्था करेंगे जैसे पशुओं का टीकाकरण, समय से राशन का वितरण, तेल का वितरण, बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण,

		सुरक्षित शरण स्थल की पहचान इत्यादि जो आपदा के दौरान प्रभावित होती है। ➢ गाँव में संचालित होने वाले विभिन्न ढांचागत विकास की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, विद्यालय भवन निर्माण, नाली पक्कीकरण योजना, विद्युतीकरण, पंचायत भवन निर्माण, पेयजल एवं अन्य इस तरह की योजनाओं को आपदा की दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित विकास की अवधारणा को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे जिससे कि ढांचागत विकास सुरक्षित रहें एवं आपदा के परिस्थितियों में समुदाय के काम आ सके। ➢ ग्राम प्रधान गाँव के विकास योजना के ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान उन सभी प्रस्ताव को अग्रसारित करेंगे जो गाँव में आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने में मदद करते हैं जैसे सड़क के ऊच्चीकरण सम्पर्क मार्गों का निर्माण, आपदा रोधी भवन का निर्माण कटान एवं बहाव वाले स्थानों पर वृक्षारोपण इत्यादि। ➢ ग्राम प्रधान सहित सभी वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ–साथ लोगों में एकजुटता लाने का प्रयास करेंगे जिससे कि विपरीत स्थिति में समुदाय एक साथ होकर विकट परिस्थितियों में मिलकर मुकाबला कर सके। ➢ ग्राम पंचायत के आम सभा के बैठक मे प्रस्तावित गतिविधियों का सभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदनध संस्तुत किए जाने के पश्चात पंचायत सचिव प्लान प्लस सोफवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्य योजना को अपलोड करेंगे

(ब) योजना की कियान्वयन के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ

प्रमुख हितधारक	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ
ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम स्तर पर गठित निर्माण समिति के सदस्य, आरईएस एवं मनरेगा के जेई, वार्ड सदस्य एवं समुदाय	• ग्राम प्रधान ग्राम विकास योजना में प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा रोधी विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करने से पहले उस कार्य से जुड़े सभी पक्षों (तकनीकी और वित्तीय) एवं उसका समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सम्पूर्ण आकलन करेंगे एवं सक्षम लोगों/अधिकारियों से सलाह लेंगे। • ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं रोजगार सेवक के सहयोग से ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत संस्तुत किये गये सभी कार्यों (जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा रोधी विकास गतिविधि भी शामिल हो) का सार्वजनिक स्थानों पर सम्पूर्ण विवरण के साथ दीवाल लेखन करवायें। इससे समुदाय के बीच संस्तुत किये गये कार्यों के प्रति पारदर्शिता तथा उनके द्वारा तय की गयी गतिविधियों के प्रति अपनत्व, और स्वामित्व का बोध बनी रहेगी। • जिन प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा रोधी विकास गतिविधियों में निर्माण कार्य करने की जरूरत है, वहाँ ग्राम प्रधान अपने साथ जेई, गाँव के रोजगार सेवक, निर्माण समिति के सदस्य एवं अन्य तकनीकी सक्षम लोगों के सहयोग से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उस स्थान विशेष पर भ्रमण कर उस कार्य की व्यवहार्यता (feasibility) अध्ययन करेंगे। • ब्लाक स्तर पर कार्यरत जेई (आरईएस एवं मनरेगा), ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेक्रेटरी के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले सभी निर्माण कार्य का डिजाइन आपदा रोधी होना सुनिश्चित करेंगे। • जेई डिजाइन के साथ–साथ उस निर्माण कार्य से जुड़े विभिन्न मानकों (आपदा जोखिम के संदर्भ में) का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। • रोजगार सेवक एवं निर्माण कार्य दल क्रमशः मनरेगा एवं अन्य वित्तीय धनराशि के सहयोग से निर्मित जलवायु अनुकूलन एवं आपदा रोधी निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी रखेंगे। • योजना के क्रियान्वयन के दौरान किए जा रहे कार्यों की निगरानी हेतु पंचायत स्तर की स्थायी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । इस संदर्भ मे निर्धारित कार्य के अनुसार, जो भी संबन्धित स्थायी समिति जिम्मेदार होगा, वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन करेंगे और हो रहे कार्यों की निगरानी मे मदद हेतु एक अनुश्रवण समिति का गठन करेंगे। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। • वार्ड स्तर पर प्रति माह होने वाली बैठक में संस्तुत किये गये कार्यों (विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा रोधी विकास गतिविधियों) की प्रगति एवं उसकी गुणवत्ता पर पंचायत स्तर की स्थायी समितियां, निर्माण कार्य दल के सदस्य एवं रोजगार सेवक समुदाय को सूचित करेंगे। • पंचायत स्तर की स्थायी समितियां जलवायु अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर जेई, ग्राम प्रधान को सूचित कर उसे सही करने के लिए सुझाव दें।

	• ग्राम प्रधान संस्तुत किये गये जलवायु अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े निर्माण कार्यों को मानसून पूर्व होना सुनिश्चित करेंगे। • ग्राम प्रधान ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का सम्पूर्ण विवरण जिला स्तर पर एनआईसी के सहयोग से पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित वेब पोर्टल (www.grammanchitra.gov.in) पर अपलोड कराएं।

(स) योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन से संबन्धित की जाने वाली गतिविधियाँ

प्रमुख हितधारक	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ
क्षेत्र के संबन्धित जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), जिला पंचायत अधिकारी (डीपीआरओ), सहायक विकास अधिकारी (एडीओ), ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, पंचायत की स्थायी समितियां, अनुश्रवण समिति के सदस्य, ग्राम रोजगार सेवक, आरईएस एवं मनरेगा के जेई, वार्ड सदस्य एवं समुदाय	• योजना बनने एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की सभी प्रक्रिया का शत प्रतिशत समीक्षा करने की जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एडीओ की होगी। एडीओ पंचायत प्रत्येक 3 माह पर ग्राम विकास योजना के प्रगति का समीक्षा (योजना के साथ सग्लंग्न चेकलिस्ट के अनुरूप) करेंगे। • जिला पंचायत अधिकारी (डीपीआरओ) भी ग्राम विकास योजना की समीक्षा 3 माह मे करेंगे तथा योजना के क्रियान्वयन मे आ रहे चुनौतियों का निराकरन करने प्रयास करेंगे। • मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रत्येक 3 माह पर योजना की प्रगति का समीक्षा करेंगे एवं जरूरी सलाह देंगे • संबन्धित जिला अधिकारी ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण करेंगे एवं जरूरी सलाह देंगे। • योजना के क्रियान्वयन के पश्चात वर्ष के अंत में योजना से संबन्धित हितधारक योजना के मूल्यांकन (योजना में सग्लंग्न चेकलिस्ट के अनुरूप) के दौरान चिन्हित कमियों/चुनौतियों का दस्तावेजीकारण किया जाएगा तथा आगामी वर्ष के योजना मे उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

संदर्भ साहित्य

Reference documents for SOP

1. Panchayati Raj Department, GoUP , (2018), ***"Training Manual on Gram Panchayat Development Plan:, Hamari yojna hamara vikas"*** Published by Panchayatiraj Department, Govt of uttar Pradesh, PP 1-61
2. OSDMA, (2019), ***Preparation of village Disaster management plan, Programe for enhancing community resilience***, published by Orrisa state disaster management Authority
3. NIDM, 2020, ***Traning module on integration of Disaster Risk reduction and climate change integration in rural development policies and programe,***
4. Panchayati raj Department, Govt of Haryana,(2018), ***Guideline for preparation of Gram panchahayat development plan***
5. National disaster management Authority , (2014)***, National Disaster management Guideline for Community Based Disaster Management***
6. Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Rural Development, GoI, (2021) ***"People plan campaign for Gram pamchayat development plan"***
7. Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Rural Development, GoI, (2021) ***Framework for preparation of block and district development plan for rural Areas***
8. Surajit Bordoloi , (2018) ***"Mainstreming disaster risk reduction in development plan and schemes",*** State disaster management Authority , Mehgalaya
9. GoI-UNDP 2019***, Mainstreaming Disaster risk reduction and climate change adaptation in national Flagship programs*** , Report prepared under the GoI – UNDP project entitled " Enhancing institutional and community resilience to disaster and climate change"
10. GoI- UNDP (undated) Training manual on building PRI Capacity for disaster preparedness and management
11. Debabrata, M , et al (***2018) Role of Panchayat in disaster : A new vistas for disaster management ,*** Research paper published in International Journal of Current microbiology and applied science***s***
12. ***UNDP (Undated) Departmental disaster management plan for panchayat raj and rural Development , Govt of Andhra Pradesh***
13. Ministry of Panchayati Raj (2018)***, Guideline for Preparation of Gram panchayat development plan***

Referred Websites

Referred Websites

1. ***https://gpdp.nic.in/downloadNew1.html?stateCode=0&departmentCode=3***
2. ***https://gpdp.nic.in/PPC/***
3. ***https://gpdp.nic.in/gpdp/mobile/index.html***
4. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/3-Book-3-Model-Learning-Materials-for-ERs-of-GPs.pdf***
5. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/2-Book-2-Model-Training-Modules-for-RT-of-ERs-of-GPs.pdf***
6. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc070820n.pdf***
7. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/sb/sb080720.pdf***

सहयोगी दस्तावेज : 2

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 क्षेत्र/ विषय सम्बन्धी विशिष्ट क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में शमन, पूर्व तैयारी और अनुकूलन की रणनीतियां

सहयोगी दस्तावेज : 2

संविधान की ग्यारहवी अनूसूची में वर्णित 29 क्षेत्र/ विषय सम्बन्धी विशिष्ट क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में शमन, पूर्व तैयारी और अनुकूलन की रणनीतियां

आपदा के बदलते स्वरूप में विभागीय स्तर पर शमन, समय पूर्व तैयारी एवं अनुकूलन के उपायों को ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित करने की रणनीति अब एक अनिवार्य गतिविधि हो गयी है। वर्ष 2005 के पहले तक आपदा प्रबन्धन के लिए कोई विशेष नियोजन नहीं किया जाता रहा लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि आपदा प्रबन्धन केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित न रहे, वरन् शमन, समय पूर्व तैयारी एवं अनुकूलन के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य एक आपदा प्रभावी क्षेत्र है और राज्य के सभी 75 जिले जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्न आपदाओं से ग्रसित होते रहते हैं। इसमें से 27 जिले अधिक संवेदनशील, 28 जिले मध्यम रूप से एवं 20 जिले तुलनात्मक दृष्टि से कम संवेदनशील हैं। विगत एक दशक में राज्य सरकार आपदा के प्रति संवेदनशील हुई है और इसकी शमन, समय पूर्व तैयारी एवं अनुकूलन हेतु कई नीति–निर्देश राज्य स्तर से जारी हुए हैं। यद्यपि राज्य से लेकर जिले स्तर तक सभी विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा विकासीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, परन्तु ये योजनाएं प्रायः आपदाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जातीं। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप संविधान की 11वीं अनुसूची मे पंचायत स्तर पर 29 विभागों द्वारा विभिन्न सेवाएं दिये जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ मे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 में यह उल्लेख है कि जिले, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे प्रत्येक विभाग अपनी विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए रोक–थाम, शमन, समय पूर्व तैयारी एवं अनुकूलन के उपायों को शामिल करेंगे।

निम्न तालिका मे संविधान की 11वीं अनुसूची में बताए गए 29 क्षेत्रों में से मुख्य 23 क्षेत्रों, जो जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न रूपों में प्रभावित होते हैं, के अंतर्गत शमन, समय पूर्व तैयारी एवं अनुकूलन के उपायों को अपनी गतिविधियों तथा विकासीय योजनाओं में सम्मिलित किए जाने की रणनीति के बारे मे बताया गया है। यद्यपि शमन एवं अनुकूलन के उपायों मे काफी समानता पाई जाती है परंतु यहाँ समझने के दृष्टि से इसे अलग अलग रूपों में दिखाया गया है ।

क्रम संख्या	सेक्टर	शमन	समय पूर्व तैयारी	अनुकूलन
1	कृषि सहित कृषि प्रसार	• जल–जमाव क्षेत्र में फसल नुकसान को कम करने हेतु लतावर्गीय सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना। • जल निकासी की व्यवस्था शुरू	• बाढ़ एवं सूखा की स्थितियों से निपटने हेतु विभाग के पास स्वयं का आपदा प्रबन्धन समिति तथा आपदा कोष होना सुनिश्चित करना।	• वैकल्पिक खेती की विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबन्धन, मिश्रित खेती, बहुस्तरीय खेती, अन्तरखेती, कम्पोस्टिंग, गृहवाटिका आदि तकनीक को बढ़ावा देना। • फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु

		कराने हेतु मनरेगा एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के साथ समन्वय कार्य सुनिश्चित करना। • बाढ़ व जल–जमाव तथा वर्षा के अभाव में सूखा की स्थिति होने के अनुमान में प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों में आगामी फसल बुवाई हेतु प्रखण्ड स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु समुदाय के नाजुक वर्गों का जुड़ाव खाद्य सुरक्षा योजना से सुनिश्चित करना। • सूखा प्रभावित एवं असिंचित क्षेत्रों मे सिंचाई कार्य हेतु सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पम्प को बढ़ावा देना। • बाढ़ व जल–जमाव वाले क्षेत्रों में मृदा के कटान को रोकने हेतु जल स्नेही पौधों/वृक्षों/ बागवानी /प्रजातियों जैसे – जामुन, अमरूद, अर्जुन,	• विभाग में पंचायत स्तर पर नोडल नामित करना। • जलवायु जनित आपदाओं से निपटने हेतु विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर विकसित किये गये भवन (बीज गोदाम, कृषि रक्षा केन्द्र) के साथ–साथ अन्य संसाधनों की स्थिति का आकलन कराना। • बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि के पूर्वानुमान की सूचना पंचायत एवं गांव स्तर के विभिन्न हितभागियों, अधिकारी व समुदाय तक सूचना समय से उपलब्ध कराना। • खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आत्मा योजना के साथ लघु, सीमान्त विशेषकर महिला किसानों का जुड़ाव सुनिश्चित करना। • बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में अनाज बैंक, बीज बैंक आदि के पुनः सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना।	के0वी0के0/विश्वविद्यालय/ कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना। • जल–जमाव वाले क्षेत्रों में जूट बैग के साथ मचान खेती तकनीक को बढ़ाना। • जल–जमाव वाले क्षेत्रों में जलस्नेही फसलों जैसे – सिंघाड़ा, तालमखाना, तिन्नी, करमुआ आदि की खेती को बढ़ावा देना। • भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उच्च मूल्यप्रदायी व रोगरोधी फसलों को बढ़ावा देना। • बाढ़ एवं जल–जमाव क्षेत्रों में अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि संस्थानों (आत्मा, औद्यानिक मिशन, के0वी0के0) आदि को सुदृढ़ करना। • सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए के0वी0के0/ कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक शोध केन्द्रों के समन्वय से कम सिंचाई एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलों पर शोध को बढ़ावा देना।

		बांस रोपण से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करना। • सूखा सहनशील सब्जी, फल व फसलों की प्रजातियों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराना।		
2.	भूमि सुधार, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	• मृदा संरक्षण को बढ़ाने के लिए आर्द्रभूमियों को बहाल करना (बाढ़ न्यूनीकरण)। • मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए फार्म बंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देना (बाढ़ शमन)।	• बाढ़ और सूखे के संदर्भ में आर्द्रभूमि के महत्व पर समुदायों का क्षमता निर्माण।	• हरित बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन के लिए नीतियां विकसित करना। • आर्द्रभूमि का कायाकल्प करने हेतु नीतियां बनाना।
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन और वाटरशेड विकास	• नहर, नलकूपों में शीर्ष से लेकर अन्त तक पानी की उपलब्ध करना। • तटबन्धों के खतरे वाले स्थानों का पता लगाकर मरम्मत तथा निगरानी करना। • बाढ़ जैसे आपात समय में तटबन्धों, नहरों, पुलों, नियंत्रण कक्षों, बाढ़ चौकियों आदि की सुरक्षा करना। • सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान को कम करने हेतु मनरेगा	• जिले में जल संचय स्रोत, तालाब, पोखरा आदि की साफ–सफाई एवं जल भराव हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना। • बाढ़ चौकियों पर खाली बोरे, मिट्टी, बालू, बोल्डर तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना। • मानसून मौसम के पूर्व बांधों की मरम्मत, रेगुलेटरों, जल निकास नालियों, नहरों, पुलों, कल्वर्ट की	• क्षमता वर्धन हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्षम विभागीय कर्मचारियों को नामित करना तथा समन्वयन स्थापित करना।

		के माध्यम से जल प्रबन्धन तकनीकों जैसे – टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, मेड़बन्दी आदि का विकास एवं प्रसार करना। • नहर के पास निर्मित होने वाली किसी भी संरचना पर सूचना पट्ट लगवा कर उसपर नहर को आपरेट करने वाले कर्मी का नाम व मोबाइल नं0 अवश्य दर्ज करना ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आपदा कम करने का प्रयास किया जा सके। • विभिन्न स्तरीय सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।	साफ–सफाई, रख–रखाव आदि सुनिश्चित करना। • नदी के बहाव की फोटोग्राफी नियमित रूप से ड्रोन से लेना ताकि नदी के बहाव की जानकारी मिलती रहे और उसी के अनुरूप बचाव एवं तैयारी कार्य किया जा सके। • मौसम के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर उससे सम्बन्धित बुलेटिन प्रसारित करना या दूसरे विभागों विशेषकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को समय से देना। • पंचायत के अन्तर्गत विभागीय आधारभूत ढांचों के मरम्मत व रख–रखाव कार्य हेतु ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना।	
4.	पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन	• सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में आपदा दृष्टिगत संशोधन करने हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करना। • पशुबाड़ा, घर, डेयरी आदि के आस–पास हुए जल–जमाव एवं गदंगी को दूर करना। • पशु चिकित्सा कैम्प का आयोजन करना एवं विभाग द्वारा संचालित	• मानसून पूर्व पशुओं का टीकाकरण करवाना। • पशुओं/डेयरी में टीकाकरण व रोग नियन्त्रण हेतु एन्टीसेप्टिक औषधि, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव करवाना। • संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना।	• चारा के अभाव को कम करने के लिए छोटे एवं मझोले किसानों को मूल्यवर्धित चारा गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • स्थानीय संसाधन/जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार पशु नस्ल को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को योजनाओं में सम्मिलित कराना। • ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि को बढ़ावा देना।

		योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। • विभागीय इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना। • पेयजल की कमी से जूझ रहे पशुओं के लिए जल स्रोतों सहित शिविर स्थलों का चयन करना। • रोगग्रस्त/संक्राम क रोगी पशुओं की चिकित्सा एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना। • पशु चारा/भूसा, दवा आदि का आवश्यकता आकलन कर स्थानीय हितभागियों के सलाह/साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। • पशु चिकित्सालयों को आपदा के दौरान नियमित रूप से सेवा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रकाश की व्यवस्था के लिए जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • जलस्रोत/ तालाब/ पोखरों का क्लोरीनीकरण/ट्री	• मोबाइल पशु चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • विभाग में आपदा काल में जिला, प्रखण्ड स्तर पर कार्यवाही/जवाबदे ही हेतु नोडल पदाधिकारी का चयन करना। • विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयों पर आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र में पहुंच बनाने के लिए चारपहिया वाहन की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित कराना। • पशुचारा/भूसा, दवा आदि आपूर्ति/ आवश्यकता आकलन कर स्थानीय थोक विक्रेताओं की पहचान कर उनके साथ रेट कान्ट्रैक्ट करना ताकि आपदा के समय उचित दर पर सामग्री उपलब्ध हो। • पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन एवं पशुओं हेतु समुचित, दवा, टीका, चारा भण्डारण तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना। • सुखा आपदा की आशंका की स्थिति में पशुओं के पेयजल हेतु जल	• पशुओं को कीड़े की दवा देना तथा पोषण प्रबन्धन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए उसे अपनाने पर जोर देना।

		टमेण्ट कर रोगमुक्त बनाना।	संचय स्रोतों को जल से भरना। • उच्चीकृत स्थान का चयन एवं पूर्व में तैयार बाढ़–आपदा शरणालय की साफ–सफाई एवं मरम्मत सुनिश्चित करना।	
5.	मत्स्य पालन	• मत्स्य पालकों के विकास हेतु मत्स्यपालक विकास संघ की स्थापना करना। • नदियों/तालाबों /पोखरों/अन्य जल स्रोतों में कल–कारखानों से निकले प्रदूषित जल तथा शवदाह व घरेलू व नगरीय उपभोग वाले प्रदूषित जल निस्तारण पर रोक लगाना। • सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में विभाग के नोडल पदाधिकारी, राजस्व व मनरेगा के आपसी समन्वय से तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों का गहरीकरण करना। • मछली के तालाबों व पोखरों का गहरीकरण व तटबन्ध सुदृढ़ करना एवं मनरेगा योजना से जुड़ाव करना।	• आपदा की स्थिति में सहयोग हेतु विभागीय फोन नं0 व हेल्प लाइन नं0 का प्रचार–प्रसार करना। • विभाग में आपदा काल में कार्यवाही/ जवाबदेही हेतु पदाधिकारी का चयन, जिला वं प्रखण्ड स्तर तक नामित करना। • मछली पालन हेतु समुचित, दवा, चारा तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना। • विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना। • मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों में जलभराव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	• ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देना।

		• जलस्रोत/तालाब / पोखरों का क्लोरीनीकरण / ट्रीटमेण्ट कर रोगमुक्त बनाना।		
6.	अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता	• विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार करना। • आशा कर्मियों को आपदा के दौरान उनके कार्यों को सुचरों ढंग से चलते रहने के लिए ट्रेनिंग देना। ग्रामीण स्तर पर आशा, ए0एन0एम0 आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, वृद्धों, बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनके लिए विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधा सुनिश्चित करना। • स्थायी समिति, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति तथा नागर समाज संगठनों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर वॉश एवं कचरा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को ग्राम आपदा योजना में शामिल कराना। • आपात स्थितियों एवं आपदाओं के दौरान विशेषकर छोटी बच्चियों,	• बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना। • आशा कर्मियों के लिए आपदा पूर्व तैयारी पर पाकेट हैण्डबुक तैयार करना। • विभाग के पास प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद संसाधनों को सूचीबद्ध कर जिला प्रशासन के माध्यम से वेबसाइट पर अपडेट करना। • बाढ़ संभावित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु रूटमैप के साथ कार्य योजना तैयार करना। • आपदा संभावित सभी क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर आपदा स्थिति के दौरान डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ की 24 घण्टे अनिवार्य उपस्थिति हेतु निर्देश जारी करना। • आपदा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ	• टीकाकरण अभियान निरन्तर चलाना। • आपदाग्रस्त जनता में रोगों/बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को धीरे–धीरे कम करने हेतु दीर्धकालीन योजनाएं बनाना। • गांव में उच्चीकृत शौचालयों का निर्माण करना तथा हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म को ऊंचा करना। • आपदा संभाव्य स्थितियों में सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। • आपदा क्षेत्र में उपलब्ध समस्त पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता की जांच करना एवं उसे प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। • प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा जोखिम विश्लेषण एवं संवेदी स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन के ऊपर प्रशिक्षण देना। • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, ए0एन0एम0, ममता, परम्परागत दाईयों, अपंजीकृत चिकित्सक आदि फ्रण्टलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को बीमारियों के नवीनतम रूपों से परिचित कराने हेतु सूचनाओं/जानकारियों/तकनीकों से अपडेट रखना। • आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन

		किशोरियों एवं महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों की रोक–थाम के लिए कारगर उपाय सुनिश्चित करना। • आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जल एवं विषाणु जनित तथा अन्य बीमारियों के ऊपर व्यापक जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अभियान चलाना। • बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पैरासीटामाल दवा शामिल करना। • आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर नियमित रूप से सामुदायिक स्तर पर तथा आपदा के दौरान राहत शिविरों में स्वच्छता संवर्धन गतिविधियों को आयोजित व प्रोत्साहित करना।	की तैनाती योजना तैयार करना। • विगत आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जल एवं विषाणु जनित बीमारियों तथा त्वचा सम्बन्धी रोगों जैसे फोड़ा–फुन्सी, खाज–खुजली व सर्पदंश से बचाव आदि के लिए उपयोगी दवाओं को पर्याप्त मात्रा में स्टाक कर सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करना। • बाढ़ आपदा पूर्व आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, किशोरियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना। • सभी मुख्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनरेटर/इमरजेन्सी लाइट की सुविधा सुनिश्चित करना। • बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरे गांवों (मैरूण्ड) के लिए चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने हेतु चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं, एम्बुलेन्स एवं नाव तैयार रखना।	योजना में समाहित कर कार्य बिन्दु तैयार करना। • स्थानीय स्तर पर फैलने वाले विशेष रोगों की क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार पहचान करना एवं उसके बारे में वहां पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों से नियमित जानकारी लेना।

7.	पेयजल	• सुरक्षित स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • बाढ़ एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध नलकूपों की मरम्मत व नियमित देखभाल करना । • समय–समय पर पीने के पानी की जांच करना। • सुखा़ की आशंका में खराब चापाकलों की मरम्मत करना। • बाढ़ एवं सूखा की स्थिति में नलकूपों के सफल संचालन हेतु मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • सूखा की स्थिति में गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना। • बाढ़ पूर्व एवं दौरान राहत शिविरों में पानी जांच व शुद्धिकरण की व्यवस्था करना।	• नलकूलों/अन्य पेयजल स्रोत की देखभाल व मरम्मत हेतु प्रखण्डवार एक टीम का गठन करना • आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां की जनसंख्या, बसाहट, उपलब्ध पेयजल स्रोतों का विवरण, नलकूपों की स्थिति इत्यादि से सम्बन्धित समस्त जानकारी एकत्र करना। • आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से आपदा पूर्व समुदाय में समय से क्लोरीन की गोलियों एवं ब्लीचिंग पाउडर का वितरण सुनिश्चित कराना।	• सुरक्षित पेयजल तथा साफ–सफाई के उपर पंचायती राज विभाग का उन्मुखीकरण करना ताकि वे अपनी योजनाओं में इसे शामिल कर सकें।
8.	बिजली के वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण	• आवासीय क्षेत्रों से गुजरे हाईटेन्शन तारों पर गार्डवायर लगाने का प्रावधान सुनिश्चित करना। • बिजली निर्माण, ट्रांसमिशन एवं विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए पुरानी इकाईयों की	• सभी महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहारों एवं विशेष अवसरों पर सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत संरचना को दुरूस्त करते हुए स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर निर्बाध विद्युत	• जल–भराव क्षेत्र से दूर तथा सुरक्षित स्थान पर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्थापना सुनिश्चित करना। • आपदा के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा, सीखों व कमियों का दस्तावेजीकरण एवं प्राप्त सीखों को भावी कार्य योजना में सम्मिलित करना। • सुखा़ आपदा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जले एवं

		मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार नये की स्थापना करना। • ऊर्जा के अन्य स्रोतों का प्रचार–प्रसार तथा उसकी स्थापना करना। • विशेषकर सुखा क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 8 घण्टों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना • ग्रामीण क्षेत्रों में लूज/जर्जर तार को बदलना सुनिश्चित करना। • आंधी–तूफान, वर्षा, बाढ़ एवं सामान्य दिनों में भी विद्युत प्रवाहित तारों व पोलों से स्वयं को अपने पालतू जानवरों को दूर रखना सुनिश्चित करें। • ग्रामीण समुदाय के इस आशय की जागरूकता प्रसारित करना कि वे हाईटेंशन तारों के नीचे भवन निर्माण न करायें। उससे अलग हटकर निर्माण कराये।	आपूर्ति सुनिश्चित करना। • आपदा प्रबन्धन विभाग से सामंजस्य हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना। • बाढ़ तथा अन्य आपदाओं में सूचना केन्द्र के साथ समन्वयन करना। • सुखा आपदा को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। • सामान्य उपकरणों, सामग्रियों, मोबाईल ट्रांसफार्मर, तार, इन्सुलेटर आदि की सूची का निर्माण तथा उनको सतत् तैयार रखना। • सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर विद्युत जेनरेटर लगाने हेतु जेनरेटर को तैयार रखना	खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलना। • कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन तथा आपदा के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा प्रस्तुत करना। • ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय को बिजली से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करने हेतु पोस्टर, पम्पलेट, फ्लैक्स का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना। • सेफ्टी गाइडलाइन्स का समुचित पालन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर सभी कर्मचारियों (सरकारी एवं संविदा वाले) को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।
9.	शिक्षा (प्राथमिक एवं	• सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना बनाना।	• विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन	• प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अध्यापक एवं 10–12 बच्चों को चिन्हित कर आपदा टीम के रूप में गठित

	माध्यमिक सहित)	• आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय लड़कों एवं लड़कियों के लिए स्वास्थ्य, भौतिक एवं मानसिक सुरक्षा, नियमित उपस्थिति आदि के बिन्दुओं को अलग – अलग कर देखना। • बाढ़ एवं सूखा की स्थितियों में मिड–डे–मील योजना सुचारू रूप से संचालित करवाना। • मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना। • मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुंच मार्गों को उंचा व पक्का करना। • स्कूल भवनों में अग्नि शमन यन्त्र अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करना।	शिक्षा विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के असुरक्षित विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा ग्रामवार मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना। • स्कूल आपदा प्रबन्धन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • स्कूल भवनों में निश्चित स्थान पर बालू भरी बाल्टियां रखना सुनिश्चित करना। • आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहां के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं0 की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो।	कर उन्हें विभिन्न आपदाओं के उपर प्रशिक्षित करना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालयों में स्थित जलस्रोतों (टैप या हैण्डपम्पों) का उच्चीकरण करना। • बाढ़ आपदा की दृष्टि से नये बनने वाले भवनों की नींव को बाढ़ की अधिकतम उंचाई से अधिक उंचा तथा सुरक्षित ऊँचे स्थलों पर बनाना। • प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना। • गांव स्तर पर उपस्थित रहने वाली आंगनबाड़ी, आशा, ममता आदि को आपदा सम्बन्धी रिफ्रेशर कोर्स कराना सुनिश्चित करना। • छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना। • आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण में समाहित करना।
10.	सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी	• बाढ़ के प्रभाव को कम करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए वनरोपण को बढ़ावा देना।	• सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण और नर्सरी के निर्माण पर स्थानीय समुदायों का प्रशिक्षण करना।	• क्षेत्रों के जलवायु के अनुरूप जलवायु अनुकूल फसलों और पौधों को उगाने के उपाय करना।

11.	लघु वनोपज	• खाली पड़े खेतों में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करना।	• जलवायु अनुकूलित औषधीय और सुगंधित पौधों को उगाने पर जनजातियों, वनवासियों का प्रशिक्षण।	• जलवायु अनुकूलित औषधीय और सुगन्धित पौधों को उगाने पर नीति बनाना तथा जनजातियों, वनवासियों को इसके लिए बढ़ावा देना।
12.	ग्रामीण आवास	• नये आवास विकास कार्यक्रमों को डी0आर0आर से जोड़ना ताकि भविष्य में जोखिम को कम किया जा सके। • समुदाय को आपदा रोधी भवन बनाने हेतु अनुदान देना • ग्राम स्तरीय सभी नये बनाने वाले सार्वजनिक भवनो को आपदारोधी बनाना • जीर्ण–शीर्ण सरकारी भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, गोदामों आदि को चिन्हित कर उसे परित्यक्त करना। • कमजोर संरचना तथा बिना भूकम्परोधी तकनीक वाले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को चिन्हित कर रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करना।	• आंधी–तूफान आने से पहले भवनों के आस–पास स्थित पेड़ों की बड़ी डालियां या कमजोर पेड़ों को काटना सुनिश्चित करना। जिससे आंधी आने की स्थिति में नुकसान कम से कम हो। • मकानों, झोपड़ियों को अधिक से अधिक आंधी/तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करना। • सार्वजनिक संरचनाओं की देखभाल व समयानुसार मरम्मत कार्य सुनिश्चित करना। • आपदा घटित होने की दशा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके सम्बन्ध में संबद्ध कार्यालयों व लोगों को सूचना देना। • भवन निर्माण कार्य में लगे राजमिस्त्री एवं मजदूरों को आपदा रोधी भवन के निर्माण हेतु सतत्	• यह सुनिश्चित करना कि नये बनने वाले भवन भूकम्प एवं बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित हों। • सम्बन्धित सभी विभाग भवन निर्माण करते हुए विभागीय भवन निमाण सहिता का पालन करे। • सभी विभागीय कर्मचारियों को भवन सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करना।

			प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना। • विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन कर अलग से कोष की स्थापना एवं उसमें धन का प्रावधान हो ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। • जनपद स्तर पर उपलब्ध भारी निर्माण उपकरणों की सूची तैयार करना तथा पर्याप्त निर्माण सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना। • विभाग मे उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार रखना व यह सुनिश्चित करना कि वे क्रियाशील रहें। • विभाग के समस्त संसाधनों (मानवीय, वित्त, सामग्री) का रोस्टर रखना जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।	
13.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	• मनरेगा के तहत् जलवायु अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों का नियोजन कर गाँव के लोगों को रोजगार देना।		• लॉकडाउन जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार कौशल पर क्षमता निर्माण करना।

14.	ऊर्जा के गैर–पारम्परिक स्रोत	• गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। • गाँव के सभी सार्वजनिक भवनों में सौर ऊर्जा से चलने वाले विद्युत आपूर्ति देना सुनिश्चित करना	• ग्रामीण समुदाय को ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत के सम्बन्ध में जागरूक करना।	• सोलर युक्त सिचाई व्यवस्था को बढ़ावा देना।
15.	सड़क, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन	• सड़कों का नियमित रख–रखाव एवं मरम्मत करना। • सूखा से बचाव हेतु वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करना। • बिजली गिरने पर चेतावनी प्राप्त करने के लिए दामिनी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना।	• जल भराव से बचने के लिए बाढ़ पूर्व मौसम में बांधों और पुलियों की सफाई करना। • ग्राम पंचायत में चिन्हित ऊंचे बाढ़ राहत आश्रय तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे निकासी मार्ग की पहचान करना। • आपात स्थिति में ग्रामीणों की सुरक्षित निकासी और बचाव सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक संचार दल का विकास करना। • यह सुनिश्चित करना कि टेलीफोन, वायरलेस आदि चालू हालत में हैं और आपदा के समय भी चालू हालत में रहें।	• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टावर व खम्भे की डिजाइन बाढ़ को ध्यान में रखकर तैयार करना • आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर आयोजित माकड्रिलों में सहभाग करना।
16.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	• बाढ़ आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना।	• आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से खाद्य सामग्री	• जन वितरण प्रणाली सशक्त बनाते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।

		• सरकार द्वारा संचालित योजना से जुड़ाव स्थापित कर प्रभावितों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना।	उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। • जिला, ब्लाक एवं गांव स्तर के सभी पेट्रोल, डीजल, किरासन, एलपीजी वितरण केंद्रों को बाढ़ आपदा से बचाव हेतु **"क्या करें" व "क्या न करें"** के उपायों पर जानकारी देना। • आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। • सभी गोदामों, कार्यालयों, राशन की दुकानों आदि तक पूर्व चेतावनी/सूचना पहुंचाने की व्यवस्था करना। • समुदाय के नाजुक संवर्ग जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों की पहचान करना। • सूखा भोजन जैसे चिउरा, लाई, भूजा आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित करना।	
17.	महिला एवं बाल विकास	• आंगनवाड़ी केन्द्रों के भीतर साफ सफाई, पोषण और शिक्षा एवं स्वस्थ	• प्राथमिकता के आधार पर गाँव में गर्भवती महिला, दिव्यांग महिला और	• आंगनवाड़ी केन्द्र गांव के भीतर ऊंचे स्थान पर स्थित होने चाहिए।

		तंत्र की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी केन्द्र का उचित रख–रखाव करना। • गाँव में मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र बनाना।	बच्चों की उपस्थिति का की सूचना को अधत्तन करना। • स्वरोजगार के तरीकों पर महिलाओं को प्रशिक्षण देना। • कोविड 19 जैसी महामारी के बीच बाढ एवं सूखा जैसे प्राकृतिक खतरों के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना।	
18	परिवार कल्याण		• आयुष्मान भारत–पीएमनेएवाई जैसी योजनाओं के अन्तर्गत योग्यता रखने वाले सभी परिवारों को चिकित्सा कवरेज का आंकलन करना। • आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद ग्रामीणों की जांच करने और उन्हें सलाह देने के लिए स्वयंसेवकों की एक ग्राम पंचायत स्तर की टीम का गठना करना।	
19.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	• जलवायु परिवर्तन व आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु गतिविधियों का संचालन करना।	• ग्राम पंचायत स्तर पर समुदायों के बीच डी.आर.आर. और सी.सी.ए. के मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक (स्थानीय युवाओं के समर्थन से) का आयोजन करना।	• अनुकूलन उपायों को रोचक ढंग से समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

20.	सामुदायिक सम्पत्ति का रख–रखाव	• खेत तालाब, कुंओं, जल संचलन गड्ढों, बाढ़ के बाद प्रभावित स्कूलों, सड़कों, आंगनवाड़ी केन्द्रां आदि के रख–रखाव के लिए टाइड या अनटाइड फंड का उपयोग करना। • बाढ़ के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का उच्चीकरण करवाना। • आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	• सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की पहचान करना, जिसे गांव के भीतर आपदा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित और मजबूत करने की आवश्यकता है। • आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना। • पंचायत स्तर पर उपलब्ध नाव एवं नाविकों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना।	• आपदाओं के उपर विभिन्न माध्यमों जैसे –फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पपेट शो आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।
21.	विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	• असक्षम लोगों का आपदा के दौरान बचाव में प्राथमिकता देना।	• ग्राम पंचायत स्तर पर विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों की पहचान करना।	• विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
22	वयस्क और		• गुड टच और बैड टच के बीच अंतर	• युवाओं और किशोरों का डी. आर.आर. और सी.सी.ए. में भूमिकाओं पर प्रशिक्षण देना

	अनौपचारिक शिक्षा		पर स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण देना। • प्राकृतिक संकट के दौरान साफ–सफाई, पोषण और स्वास्थ्य के प्रबन्धन के बारे में स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण देना	
23.	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	• जलवायु अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण से सम्बन्धित मुद्दों पर किसानों और युवाओं को शिक्षित करने के लिए पी. आर.आई. स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना।	• युवाओं को स्वरोजगार कौशल से सशक्त बनाना।	• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए मृदा स्वास्थ्य आकलन करना • फसल बीमा जैसी योजनाओं पर किसान फील्ड स्कूल के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण करना।

संदर्भ साहित्य

Reference documents for 29 sectors

1. Ministry of Panchayati Raj (2018)***, Guideline for Preparation of Gram panchayat development plan***
2. OSDMA, (2019), ***Preparation of village Disaster management plan, Programe for enhancing community resilience***, published by Orrisa state disaster management Authority
3. NIDM, 2020, ***Traning module on integration of Disaster Risk reduction and climate change integration in rural development policies and programe,***
4. National disaster management Authority , (2014)***, National Disaster management Guideline for Community Based Disaster Management***
5. Surajit Bordoloi , (2018) ***"Mainstreming disaster risk reduction in development plan and schemes",*** State disaster management Authority , Mehgalaya
6. GoI-UNDP 2019***, Mainstreaming Disaster risk reduction and climate change adaptation in national Flagship programs*** , Report prepared under the GoI – UNDP project entitled " Enhancing institutional and community resilience to disaster and climate change"
7. GoI- UNDP (undated) Training manual on building PRI Capacity for disaster preparedness and management
8. Debabrata, M , et al (2018) ***Role of Panchayat in disaster : A new vistas for disaster management ,*** Research paper published in International Journal of Current microbiology and applied science***s***
9. UNDP (Undated ***) "Departmental disaster management plan for panchayat raj and rural Development" , Govt of Andhra Pradesh***

Referred Websites

1. ***http://bsdma.org/images/global/DISASTER%20RISK%20REDUCTION%20ROADMAP%20(2015-2030).pdf***
2. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/2-Book-2-Model-Training-Modules-for-RT-of-ERs-of-GPs.pdf***
3. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc070820n.pdf***
4. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/sb/sb080720.pdf***

सहयोगी दस्तावेज : 3

प्रतिरोधी (रेजिलियेन्ट) क्षमता में योगदान दे सकने की संभावना वाली योजनाओं व कार्यक्रमों की पहचान

सहयोगी दस्तावेज : 3

प्रतिरोधी (रेजिलियेन्ट) क्षमता में योगदान दे सकने की संभावना वाली योजनाओं व कार्यक्रमों की पहचान

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विकास योजनाओं और परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को मुख्यधारा में लाना या एकीकृत करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की नीतियां, अधिनियम और नियम एवं विनियम भी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के उपायों को अपनाने की तात्कालिकता पर जोर देता हैं, ताकि सभी विकास गतिविधियों में आपदाओं से उत्पन्न नाजुकता को कम किया जा सके।

विकास और आपदा जोखिम एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते है। ग्राम स्तर पर योजना बनाते समय समुदाय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा संस्तुत की गयी गतिविधियां कहीं स्वयं नए जोखिमों का कारण न बन जाए । गाँव की विकास योजना सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से प्रभावित होतीं है। अतः समुदाय को उन सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से परिचित रहना चाहिए जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को सम्मिलित किए जाने की संभावना हो। इसी तथ्य को ध्यान में रख कर निम्न तालिका में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को सम्मिलित करने की संभावना है और इसे ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभावों को कम किया जा सकता है ।

कार्यक्रम/योजना का नाम	अनुकूलन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण की संभावनाएं	लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	• प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम घटनाओं के कारण फसल के नुकसान/नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता।	• छोटे एवं सीमांत किसानों को खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने तथा किसानों को नये/आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (MGNREGS)	• जल संरक्षण कार्यक्रम। • वाटरशेड विकास योजनाएं। • पक्की व कच्ची सिंचाई नालियों का निर्माण जिसमें कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड चैनल शामिल हैं। • कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का समतलीकरण।	• ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के पलायन , जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के प्रभावों एवं नुकसानों को कम करने में मदद करेगा।

	• नहरों से गाद निकालना व खर–पतवार की सफाई। • स्पर व धारा नियंत्रण गतिविधियां। • नदी की बाढ़ से बचाव हेतु तटबन्धों को मजबूत करना। • प्राकृतिक बाढ़ से हुए नुकसान का पुनर्निर्माण (मानव श्रम आधारित)। • तटबन्धों के किनारे वृक्षारोपण। • जल संचयन तालाबों का निर्माण। • पुराने सामुदायिक तालाबों/जलाशयों से गाद निकालना व जीर्णोद्धार। • चेक डैम का निर्माण। • पानी रोकने के लिए गड्ढे। • जल स्रोत विकास व पारम्परिक ज्ञान।	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	• कृषि जलवायु स्थितियों के अनुरूप जिला कृषि योजना बनाना। • जल प्रबन्धन। • जल संरक्षण व निगरानी। • नलकूप, खुदे हुए कुंए, खेत तालाबों द्वारा अतिरिक्त जल स्रोत का विकास। • सूखा प्रतिरोधी (रेजिलियेन्ट) फसलें व फसल तंत्र। • बीज व चारा योजना (वैकल्पिक किस्में, मिनीकिट आदि जो सूखा की स्थितियों के लिए हों)।	• जलवायु अनुकूलित कृषि पद्धतियों जैसे एकीकृत खेती, मशरूम की खेती , पशुपालन/मधुमक्खी पालन आदि के उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा किसानों को जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	• वाटरशेड विकास। • वर्षा अधारित/बंजर भूमि विकास। • पारम्परिक जल संचयन संरचनाओं का संरक्षण व पुर्नजीवित करने के कार्यक्रम, अतिरिक्त जल क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने के लिए नहरों का	• ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जल के अनुकूलतम उपयोग की योजना निर्माण, हर खेत तक पानी की पहुंच एवं जल संरक्षण के टिकाऊ उपायों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

	निर्माण, टपक सिंचाई / स्प्रिंकलर सिंचाई विधियों की स्थापना।	
परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)	• रसायनों व कीटनाशकों अवशेष रहित कृषि उत्पाद तैयार करने हेतु पर्यावरण सम्बन्धी, कम लागत तकनीक। • बाढ़ और सूखारोधी बीजों की प्रजातियों को बढ़ावा।	• प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित खेती होने से जलवायु अनुकूलित टिकाऊ खेती को बढ़ावा, खेती में प्रति यूनिट लागत में कमी तथा शुद्ध लाभ में वृद्धि के साथ–साथ रसायन रहित खादों के प्रयोग से पर्यावरण की रक्षा भी होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	• स्प्रिंकलर / रेनगन हेतु किसानों के समूह / कलस्टर बनाना, जो रबी / खरीफ में सूखा या कम वर्षा / लम्बे सूखे की स्थितियों हेतु हो।	• सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिचाई की सुविधा उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन व कृषि क्षेत्र में वृद्धि के साथ–साथ मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी।
समग्रित बागवानी विकास योजना (MIDH)	• सम्पूर्ण बागवानी जिसमें फलों, सब्ज़ियों, जड़ व कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगन्धित पौधे, नारियल, काजू, कोको व बांस उत्पादन में आपदाओं की समय रेखा को ध्यान में रखना।	• जलवायु अनुकूलित बागवानी, विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाने, छोटे एवं सीमांत किसानों को संगठित कर एकीकृत खेती को प्रोत्साहन देने, उनके आय में वृद्धि करने के साथ पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
राष्ट्रीय मिशन कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर (NMAET)	• कृषि प्रसार की पुनर्संरचना जिसमें सूचनाओं, आई.सी.टी., आधुनिक व उपयुक्त तकनीकों के उपयोग से मौसम की चरम स्थितियों की पूर्व जानकारी दी जा सके। • महिला खाद्य सुरक्षा समूहों का सशक्तीकरण। • बाढ़ व सूखा रोधी फसलों के बीज तैयार करने हेतु क्षमता विकास।	• विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों के विशेषताओं के अनुरूप नये कृषि तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा।
दीन दयाल अनतोदया योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	• आजीविका सम्बन्धी गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण व जलवायु अनुकूलन को शामिल करना	• जलवायु अनुकूलित आजीविका संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार मिलने से पलायन में कमी आएगी।
सर्वे आफ विलेज आबादी एंड मैपिंग	• ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की गुणवत्ता सुधार	• स्थानीय संसाधनो की उपलब्धता की जानकारी रहने

विथ इंप्रोवाइज्ड़ टेक्नालाजी इन विलेज एरिया (SVAMITVA)	हेतु जी.आई.एस. मानचित्रों को बनाना।	पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के गतिविधियों को संचालित करने तथा जलवायु सूचित ग्राम विकास योजना निर्माण में मदद मिलेगी।
डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP)	• पठनीय व स्थानिक दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़ों का पूर्व समय रेखा व खतरों के क्रम में विश्लेषण।	• ग्राम पंचायत से संबन्धित सभी महत्वपूर्ण प्रलेखों का डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होने से ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना निर्माण में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)	• सूखा रोधी बारहमासी फल की फसलें। • सूखा प्रभावित खेतों में बागवानी और ऐसी फसलें जो सूखे की स्थितियां सह सकें। • सूखे की स्थितियां के प्रति सहनशील फसलों को प्रारम्भ करना/क्षेत्र विस्तार।	• सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलित बागवानी कृषि पद्धतियों को अपनाने, किसानों के आय में वृद्धि करने के साथ उनकी पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
चारा व पशुओं के लिए भोजन विकास योजना	• सूखे की स्थितियों में पशुओं की भोजन आवश्यकता की जागरूकता जिससे उनके स्वास्थ्य व उत्पादकता बनी रहें।	• बाढ़ एवं सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनी रहेगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)	• स्थाई पेयजल सुरक्षा। • ग्राम पंचायत स्तर पर जल की गुणवत्ता हेतु पेयजल की जांच हेतु सुधार सम्बन्धी क्षमता/क्षमता विकास। • आर्थिक जल सुरक्षा पर ध्यान देना। • सतही व भूमिगत जल का उपयोग जिसमें वर्षा जल के संचयन पर ध्यान रहे। • पारम्परिक जल संरक्षण विधियों को सजीव करना। • सतही जल हेतु जल ग्रहण क्षेत्र पर ध्यान देना।	• सतही एवं भूमिगत जल संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ लोगों को सुरक्षित पेयजल सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
नेशनल मिशन फार ग्रीन इण्डिया (GIM)	• जंगलों के आच्छादन में कमी को रोकने व बढ़ाने हेतु प्रयास जो जलवायु परिवर्तन	• ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों को बढ़ावा तथा पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएँ मजबूत होंगी।

	शमन व अनुकूलन दोनों के लिए हों। • पारिस्थितिकी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु हरित क्षेत्रों को बढ़ावा जिसमें जैव विविधता, जल, बायोमास, मैग्रूव संरक्षण, वेटलैण्ड तथा कार्बन सोखने के प्रयास किये जा सके।	
राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM)	• आयुष दवाइयों को प्रोत्साहन जो सामान्य स्थिति तथा कोविड जैसी स्थितियों में भी सहायक हों।	• औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (NMPB)	• स्थानीय जलवायु के अनुसार औषधीय पौधों का अपने मूल स्थान, अथवा बाहरी क्षेत्र में संरक्षण जिससे किसानों के खेत की प्रतिरोधी (रेजिलियेन्ट) क्षमता व आय बढ़ सके। • हितग्राहियों का प्रशिक्षण	• सूखा एवं अकृषिगत क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन मिलने से छोटे एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय का विकल्प मिलेगा।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	• पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास जिससे वह स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों तथा सहभागी विधियों को अपना कर स्थाई विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में सहायक हों तथा आपदा व जलवायु प्रतिरोधिता में योगदान दें।	• पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम सूचित विकास योजना निर्माण होने से स्थायी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)	• कमजोर वर्गों को मकान की उपलब्धता जिससे मलिन बस्तियों की जगह पक्के मकान मिल सकें। ऐसे मकान आपदारोधी हों।	• कमजोर वर्ग के समुदायों को आपदा रोधी पक्का मकान मिलना सुनिश्चित होगा तथा आपदा के दौरान होने वाले नुकसान में कमी आएगी।
जल–जीवन मिशन (JJM)	• पेयजल की सुरक्षा की दीर्घकालिक व्यवस्था हेतु ग्रामीण जल आपूर्ति जिससे प्रत्येक ग्रामीण घरों व सामुदायिक संस्थाओं जैसे	• पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा।

	ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, को आच्छादित किया जा सके। • जल आपूर्ति अधोसंरचना विकसित करना जिससे प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन (FHTC) हो सके और निर्धारित मात्रा व गुणवत्ता वाला पानी नियमित रूप से मिल सके। • पेयजल सुरक्षा हेतु योजना। • ग्राम पंचायत/ग्रामीण समुदाय स्वयं अपने गांव के पेयजल तंत्र को नियोजित, लागू, प्रबन्धन, स्वामित्व, संचालित व रख–रखाव कर सकें। • हितग्राहियों का क्षमता विकास व समुदाय में जीवन की गुणवत्ता हेतु जल के योगदान पर जागरूकता। • गांव में स्वयं का पाइप वाटर सप्लाई का इन्फ्रास्ट्रक्चर। • जहां आवश्यक हो गुणवत्ता सुधार हेतु दूषित पदार्थों को निकालने की तकनीकी व्यवस्थाएं। • दूषित जल प्रबन्धन।	
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)	• छतों की वर्षा का जल संचयन। • वाटर शेड प्रबन्धन विशेषतः पारम्परिक जलाशयों का जीर्णोद्धार व संरक्षण। • पेयजल विशेषतः शोधित जल को घरों के नल द्वारा पहुँचाना।	• ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलित संरचनाओं जैसे घरों में वर्षा जल संचयन , जलाशय, सुरक्षित पेयजल की सुविधाएं इत्यादि का विकास होगा।
एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)	• आपदा के समय बच्चों व माताओं का पोषण व स्वास्थ्य।	• महिलाओं एवं बच्चों में पोषण संबंधी कमियाँ दूर होगी तथा उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) व आम	• जलवायु परिवर्तन व आपदा सम्बन्धी जोखिमों हेतु वित्तीय सहायता की संभावना।	• जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के दौरान हुई मानवीय क्षति में

आदमी बीमा योजना (AABY)		वित्तीय सहायता प्राप्त होना सुनिश्चित होगा।
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	• शौचालयों को आपदा प्रतिरोधी तकनीक से बनाना। • बाढ़ जैसी स्थितियों में शौचालयों के निर्माण में सावधानियां। • मिशन के अन्तर्गत आपदा के बाद स्वच्छता की स्थिति बनाये रखने हेतु आई.ई.सी.।	• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद जल एवं किट जनित बीमारियों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त लोगों में स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में परिवर्तन आयेगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	• ग्राम स्वास्थ्य योजना व जिला स्वास्थ्य योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रयास। • आशा कर्मियों को आपदा में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण। • सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपदा प्रतिरोधी बनाना। • चिकित्सकों व चिकित्सालय कर्मियों को आपदा से निपटने हेतु प्रशिक्षण।	• कमजोर वर्गों को विभिन्न परिस्थितियों में अपने गाँव में ही समुचित स्वास्थ सुविधा मिलना सुनिश्चित होगा।
महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)	• महिलाओं का कृषि में प्रभावी योगदान। • महिला किसानों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण व जलवायु अनुकूलन हेतु कृषि व संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में प्रतिरोधी कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण।	• कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी व उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को पोषण एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त होना सुनिश्चित होगा।
वाटरशेड विकास कार्यक्रम (सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम)	• भूमिगत जल का कृत्रिम संचयन, व्यक्तिगत लघु/सीमान्त खेतों में वाटरशेड विकास, सूखा क्षेत्रों में पानी पहुचानें हेतु पाइप/नालियों को बनाना। • वाटरशेड संरचनाओं को सही स्थान पर बनाना जहां जल संचयन को बढ़ाया जा सकता है।	• भूमिगत जल का संरक्षण तथा सूखा की स्थिति में कृषि कार्य हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

	• फसल चक्र में कठिन समय में सूखे में जीवन बचाने हेतु सिंचाई। • पंचायत राज संस्थाओं द्वारा ''सामुदायिक तालाबों'' का निर्माण जिसका रख–रखाव उपयोगकर्ताओं के अंशदान से हो।	
बाढ़ प्रबन्धन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme FMBAP)	• कटावरोधी गतिविधियों को बढ़ावा। • बहुउपयोगी बाढ़ शरण स्थलों का पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में विकास। • नदी क्षेत्रों में बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास। • डूब क्षेत्रों हेतु पूर्व चेतावनी तथा ग्रामीणों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु डिजिटल एलीवेशन मैप।	• राज्य के तराई क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा बाढ़ के प्रभाव या होने वाले नुकसान में कमी आएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)	• कृषि लागत में नाजुक समुदाय को वित्तीय सहायता।	• राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को कृषि कार्य हेतु वित्तीय सहायता समय से मिल पाएगी तथा कर्ज के दुष्चक्र में फसने से मुक्ति मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKM)	• नाजुक समुदाय (वृद्ध, लघु सीमांत किसानों) की सामाजिक सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता।	• ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को समाजिक सुरक्षा प्राप्त होना सुनिश्चित होगा।
मृदा स्वास्थ कार्ड (SHC)	• मृदा की गुणवत्ता का विकास। • मृदा के गुण के अनुरूप फसल उत्पादन।	• मृदा की गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी मिलेगी तथा किसान मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप फसल नियोजन कर पाएगा।
एम– किसान (M-KISAN)	• मौसम से संबन्धित पूर्वसूचना • जलवायु प्रतिरोधी वैकल्पिक खेती की विभिन्न विधाओं (जैसे समय एवं स्थान प्रबन्धन, मिश्रित खेती, बहुस्तरीय खेती, अन्तरखेती, कम्पोस्टिंग, गृहवाटिका आदि तकनीक) को बढ़ावा।	• किसानों को मौसम संबन्धित सूचनाएँ पूर्व में ही प्राप्त हो जाएगी। इससे किसान खेती से संबन्धित गतिविधियों को सही तरीके से नियोजित कर पाएगा। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM)	• लघु एवं सीमांत किसान हेतु सोलर युक्त सिचाई व्यवस्था। • गैर–कृषिगत क्षेत्रों में सोलर पैनल लगवाकर बिजली उत्पादन कर वैकल्पिक आय का सृजन।	• सौर ऊर्जा आधारित सिचाई सुविधा ग्रामीणों को प्राप्त होना सुनिश्चित होगा तथा बेकार पड़ी जमीन पर लगे सोलर पैनल से बिजली उत्पादन करके किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना (UP-MSGV)	• राज्य के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों मे जलवायु अनुकूलित बुनियादी सुविधओं का विकास। • ग्रामीण युवाओं को जलवायु अनुकूलित आजीविका के गतिविधियों पर प्रशिक्षण।	• राज्य के तराई क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जलवायु अनुकूलित बुनियादी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं को जलवायु अनुकूलित आजीविका से संबन्धित गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना (UPMKSBY)	• नाजुक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता।	• ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को समाजिक सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होना सुनिश्चित होगा।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (UPKDKY)	• किसान की खेतों में काम करने के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के सन्दर्भ में आश्रित परिवार को वित्तीय सहायता।	• किसान की खेतों में काम करने के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के सन्दर्भ में आश्रित परिवार को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ।
उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना (UPKUY)	• सिचाई हेतु ऊर्जा कुशल पम्प का विकास एवं प्रचार प्रसार। • जल संरक्षण एवं निगरानी। • सिचाई तकनीक का विकास (उदाहरण स्वरूप–सेंसर आधारित सिचाई)।	• राज्य में किसानों को ऊर्जा कुशल सिचाई पंप प्राप्त होना सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण एवं निगरानी के नये तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
अटल भूजल योजना (ABJY)	• ग्राम स्तर पर जल संरक्षण (उदाहरण स्वरूप–वर्षा जल संचयन एवं भूजल रीचार्ज) कार्यक्रम को बढ़ावा। • ग्राम पंचायत स्तर पर वॉटर बजट तैयार करना। • रीचार्ज कूपों का विकास। • जल एकत्रित करने के विकल्पों का विकास। • वर्षा जल संचयन संरचनाओं का जियो टेगिंग।	• ग्रामीण क्षेत्रों में सतही एवं भूजल के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा असामान्य स्थितियों (बाढ़ एवं सूखा) में ग्रामीणों को जल संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

	• जीपीएस तकनीक के मदद से भूजल की गुणवत्ता से संबन्धित सूचनाओं का डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित करना। • माइक्रो सिचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को बढ़ावा।	
दीन दयाल उपाध्या ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	• सुरक्षित स्थान पर विद्युत वितरण यूनिट की स्थापना सुनिश्चित करना। • आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षित विद्युत वितरण को प्रोत्साहन।	• ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुविधा प्राप्त होना सुनिश्चित होगा।
सर्व शिक्षा अभियान (SSA)	• स्कूल सुरक्षा की नीति का विकास। • स्कूलों का आपदा रोधी डिजाइन तैयार करना। • शिक्षकों को स्कूल सुरक्षा के संदर्भ मे प्रशिक्षण।	• जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी तथा स्कूलों में जलवायु अनुकूलित संरचनाओं का विकास होगा।

संदर्भ साहित्य

Reference documents for schemes and programe

1. Ministry of Panchayati Raj (2018)***, Guideline for Preparation of Gram panchayat development plan***
2. National Institute of Disaster management (2020), ***Traning module on integration of Disaster Risk reduction and climate change integration in rural development policies and programe,***
3. Surajit Bordoloi , (2018) ***"Mainstreming disaster risk reduction in development plan and schemes",*** State disaster management Authority , Mehgalaya
4. GoI-UNDP (2019)***, Mainstreaming Disaster risk reduction and climate change adaptation in national Flagship programs*** , Report prepared under the GoI – UNDP project entitled " Enhancing institutional and community resilience to disaster and climate change"
5. UNDP (Undated) ***"Departmental disaster management plan for panchayat raj and rural Development" , Govt of Andhra Pradesh***

Referred Websites

1. https://pmfby.gov.in/guidelines
2. https://rkvy.nic.in/
3. https://pmksy.gov.in/pdflinks/Guidelines_Hindi.pdf
4. https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/NFSMOrder12102018.pdf
5. https://midh.gov.in/Schemes.html
6. https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/pdf/PMGSY_E_J_2015.pdf
7. https://svamitva.nic.in/svamitva/download.html
8. https://dolr.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20%20NLRMP%2017.4.2009%20-%20Final.pdf
9. https://ejalshakti.gov.in/IMISReports/NRDWP_MIS_NationalRuralDrinkingWaterProgramme.html
10. https://moef.gov.in/en/division/forest-divisions-2/green-india-mission-gim/about-the-mission/
11. https://namayush.gov.in/content/ayush-hwcs-operational-guidelines
12. https://rgsa.nic.in/aboutRGSA.html?OWASP_CSRFTOKEN=9M5T-PWN4-E43O-ATC3-ENOZ-79IK-O3PI-8MTT
13. https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/JJM_note.pdf
14. https://nmpb.nic.in/content/scheme-components
15. http://balvikasup.gov.in/BalVikasUP2/ServicesAndSchemes.aspx
16. https://financialservices.gov.in/circulars-3
17. https://sbm.gov.in/sbmReport/Home.aspx
18. http://upnrhm.gov.in/Home/Guidelines
19. http://mksp.gov.in/
20. https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedPM-KISANOperationalGuidelines(English).pdf
21. https://pmjandhanyojana.co.in/pm-kisan-maandhan-pension-pmkmy/
22. https://www.soilhealth.dac.gov.in/

सहयोगी दस्तावेज : 4

जोखिम सूचित जी०पी०डी०पी० की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु चेकलिस्ट

सहयोगी दस्तावेज : 4

जोखिम सूचित जी०पी०डी०पी० की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु चेकलिस्ट

यह निगरानी एवं मूल्यांकन चेकलिस्ट प्रारूप ग्राम पंचायत विकास योजना के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ–साथ योजना को जोखिम सूचित बनाने तथा उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में हितधारकों को मदद करेगा। इससे जिम्मेदार हितधारकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के दौरान जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को गांव के विकास योजना के साथ जोड़ा गया है या नहीं, यदि किया गया है तो यह उपाय ग्राम पंचायत के विकास हेतु कितना उचित एवं जरूरी है, योजना के अन्तर्गत किन–किन वर्गों की जरूरतों को समाहित किया गया है इत्यादि। इसके अतिरिक्त हितधारकों को यह भी समझने में आसानी होगी की सुझाये गये गतिविधियों का संचालन कैसे किया गया है तथा उसके क्या परिणाम हुए हैं।

ग्राम विकास योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के दौरान निम्न चेकलिस्ट के सहयोग से समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जा सकता है–

(अ) योजना निर्माण के दौरान समीक्षा एवं मूल्यांकन से संबन्धित चेकलिस्ट

योजना निर्माण के चरण	चेकलिस्ट	हां	नहीं	टिप्पणी
वातावरण निर्माण	• क्या गाँव में जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में चर्चा हुई? • क्या ग्राम पंचायत के आम सभा में ग्राम पंचायत विकास योजना को जोखिम सूचित बनाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई? • गाँव स्तर पर गठित कार्य समूह के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन की समझ रखने वाले लोगों को सम्मिलित किया गया है? • क्या आम सभा के बैठक के अतिरिक्त वार्ड सभा की बैठक में वार्ड सभा के सदस्यों द्वारा समुदाय को जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा हुई? • क्या गाँव में जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभावों के ऊपर प्रचार–प्रसार हेतु दीवाल लेखन/पत्रक/पोस्टरों/हस्ताक्षर अभियान			

	इत्यादि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाये गये ? • गाँव के कितने स्कूलों में जलवायु परिवर्तन या उससे होने वाले प्रभावों या आपदा के प्रति बच्चों में जागरूकता हेतु रैली या चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम चलाये गये?			
परिस्थिति विश्लेषण	• क्या परिस्थिति विश्लेषण के दौरान गाँव के समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया गया? • क्या योजना निर्माण हेतु सामाजिक आर्थिक सूचनाओं के अतिरिक्त आपदा से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है? • क्या परिस्थिति विश्लेषण के दौरान गाँव में आपदा के दृष्टिकोण से नाजुक क्षेत्रों तथा नाजुक समुदाय, महिलाओं/परिवारों की पहचान की गई है? • क्या गाँव स्तर पर खतरा, जोखिम नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण की प्रक्रिया को सहभागी तरीके से संचालित किया गया है? • क्या समुदाय में समूह चर्चा के दौरान आपदा के संदर्भ में नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण (मानव, सामाजिक विकास, बुनियादी सुविधाओं एवं पर्यावरण) हेतु चर्चा हुई थी?			
आवश्यकता की पहचान एवं प्राथमिकता	• क्या ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व तैयारी, रोकथाम, रिस्पॉस से जुड़ी गतिविधियों को सम्मिलित करने पर चर्चा हुई? • योजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान गाँव के किन–किन समुदायों की जरूरतों पर चर्चा हुई? • क्या नाजुक समुदाय की जरूरतों की पहचान की गई?			
संसाधनों की पहचान	• क्या गाँव में आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में मदद हेतु सभी प्राकृतिक, तथा मानव संसाधन की पहचान/सूची तैयार की गई है? • क्या जोखिम सूचित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लगने वाले वित्तीय संसाधन (स्कीम एवं परियोजनाओं) की पहचान की गई?			

	• क्या आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय में सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सम्मिलित करने की संभावना पर चर्चा हुई?			
जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण	• क्या ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित लघु एवं दीर्घकालीन गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है? • क्या प्रस्तावित गतिविधियों को गाँव के समुदाय ने अपनी मंजूरी/सहमति दी है? • क्या ड्राफ्ट योजना को आम सभा से अनुमोदन प्राप्त है? • क्या आम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास योजना प्लान प्लस सोफवेयर (www.planningonline.gov.in) पर अपलोड किया गया ? • क्या योजना क्रियान्वयन से जुड़े हितभागियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से योजना में उल्लेखित है?			

(ब) योजना के क्रियान्वयन के दौरान समीक्षा एवं मूल्यांकन से संबन्धित चेकलिस्ट

चेकलिस्ट	हां	नहीं	टिप्पणी
• क्या जलवायु अनुकूलन तथा आपदा जोखिम रोधी विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन से पहले उससे संबंधित सभी तकनीकी एवं वित्तीय पक्षों का आकलन एवं सक्षम व्यक्ति से सलाह लिया गया ? • क्या ग्राम विकास योजना के अंतर्गत संस्तुत की गयी गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं ग्रामीणों के बीच काम को लेकर परदर्शिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हितधारक द्वारा उसका दीवाल लेखन या किसी अन्य माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया? • क्या जलवायु अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबन्धित निर्माण कार्य होने से पूर्व उसका व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility study) किया गया ? • क्या निर्माण कार्य की डिजाइन तैयार करने के दौरान उसमें आपदा रोधी मानकों का उल्लेख या सम्पूर्ण दिशा निर्देश दिये गए थे ? • क्या निर्माण कार्य के दौरान जिम्मेदार पंचायत की स्थायी समितियां निर्माण स्थल का भ्रमण या निगरानी करने गयी थी ?			

• क्या निर्माण कार्य में इस्तेमाल हुई सामाग्री की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की थी? • क्या निर्माण कार्य मानक एवं डिजाइन के अनुसार ही हुआ है ? • क्या समुदाय द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया ? • क्या ग्राम विकास योजना के अंतर्गत संस्तुत किए गए कार्य, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबन्धित कार्य, समय से पूरे हए ? • क्या ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का सम्पूर्ण विवरण जिला स्तर पर एनआईसी के सहयोग से पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित वेब पोर्टल (www.planningonline.gov.in) पर अपलोड किया गया ? • क्या ग्राम विकास योजना से जुड़े सभी गतिविधियों का समय समय पर जिम्मेदार हितधारकों द्वारा समीक्षा किया गया एवं आवश्यक सलाह दिये गए?			

संदर्भ साहित्य

Reference documents for checklist for evaluation and monitoring

1. Panchayati Raj Department, GoUP , 2018, ***"Training Manual on Gram Panchayat Development Plan:, Hamari yojna hamara vikas"*** Published by Panchayatiraj Department, Govt of uttar Pradesh,
2. Ministry of Panchayati Raj (2018)***, Guideline for Preparation of Gram panchayat development plan***
3. GoI- UNDP (undated) Training manual on building PRI Capacity for disaster preparedness and management

Referred Websites

1. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/3-Book-3-Model-Learning-Materials-for-ERs-of-GPs.pdf***
2. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/2-Book-2-Model-Training-Modules-for-RT-of-ERs-of-GPs.pdf***